ensure that each teacher would ordinarily get two promotion in his/her career. There is no proposal to further revise these pay scales.

Kendriya Vidyalaya Sangathan's Board of Governors recommendation regarding Bhujangrao Committee's suggestions .

2353. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether suggestions made by Bhujangrao Committee are being referred to the Kendriya Vidyalaya Sangathan's Board of Governors in its ensuing 54th Meeting; and

(b) if so, the details of the suggestions recommended for (i) adoption in toto, and/or (ii) adoption in modified form?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) and (b) No, Sir. The 54th meeting of the Board of Governors was held on 22.08.1990. The final recommendations of Bhujangrao Committee will be submitted to Academic Advisory Committee and Finance Committee for their consideration before it is submitted to the Board of Governors.

विद्यालयों में अनुत्तीर्ण छात्रों को दाखिला दिए जाने के संबंध में शिक्षा निदेशक, दिल्ली द्वारा अनुदेश

2354. **कुमारी आलिया :**

श्री कपिल वर्मा :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा निदेशक ने 27 जुलाई को शिक्षा अधिनियम, 1973 के अधीन दिल्ली के सभी विद्यालयों को ये अनुदेश जारी किये थे कि दसवीं तथा बारहवीं कक्षाओं के सभी अनुत्तीर्ण छात्रों को विद्यालयों में दाखिला देना जरूरी है, यदि हां, तो अब तक कितने छात्रों को दसवीं तथा बारहवीं कक्षाओं में दाखिला दिया गया है और दिल्ली में ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में शिक्षा अधिनियम, 1973 का उल्लघंन करने के लिये कितने प्राचार्यों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की गई तथा कितने प्राचार्यों को दंडित किया गया ;

(ग) नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत दिल्ली के कितने विद्यालयों में व्यावसायिक विषय खोले गये तथा कितने विद्यालयों में उन्हें लागू किया गया ; और

(घ) क्या व्यावसायिक विषय के संबंध में किसी प्रकार की प्रयोगात्मक परीक्षा ली गई; यदि हां, तो कब और कितने विद्यालयों में ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Operational details of modified transfer guidelines for Kendriya Vidyalaya employees

2355. SHRI PRAVAT KUMAR SAMANTARAY: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Unstarred Question 833 given in Rajya Sabha on the 15th May, 1990 and state:

(a) whether any 'Operational Details' of Transfer Guidelines for employees of Kendriya Vidyalayas as amended of late have been prepared; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) Transfer

Guidelines have been approved by the Board of Governors. It has not been found necessary to frame a separate set of operational details.

(b) Does not arise.

वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में अनुसंधान के फलितार्थ

2356. **श्री मैंतै पदमनाभम :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में अनुसंधान के फलितार्थ का कोई आकलन किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस संस्थान में इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसा कोई भी उल्लेखनीय अनुसंधान नहीं किया जा रहा है ;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले अनुसंधान पत्रों का ब्यौरा क्या है और ऊष्णकटिबंधी वनों पर किये गये उल्लेखनीय कार्य का ब्यौरा क्या है ;

(घ) वन अनुसंधान संस्थान के पुनर्सचन और उसके कार्य में तेजी लाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ;

(ङ) वन अनुसंधान संस्थान के लिये निर्धारित निधियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(च) क्या यह सच है कि वन अनुसंधान संस्थान में भवनों इत्यादि का रख-रखाव समुचित तरीके से नहीं किया जा रहा है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) वन अनुसंधान संस्थान , देहरादून के कार्यों का विभिन्न सरकारी समितियों द्वारा अतीत में मूल्यांकन किया गया है ।

(ख), (घ) और (ङ) वानिकी अनुसंधान और शिक्षा को 1986 में मान्यता दी गई । भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के अधीन छः वानिकी अनुसंधान संस्थान खोले गये हैं । प्रत्येक संस्थान को विशिष्ट विषय क्षेत्र में अनुसंधान करने का कार्य सौंपा गया है । वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून को हिमालयीय और कछारी वनों, जल संभरों, अल्पीय चरागाहों और शीत मरुस्थल क्षेत्रों का समस्याओं, वानिकी कार्यों और वानिकी के सामाजिक कानूनी पहलुओं के बारे में मौलिक और संबंधित अनुसंधान का कार्य सौंपा गया है । इसके अनुसंधान की गुणवत्ता अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के अनुसंधान संस्थानों के द्वारा किए गये अनुसंधानों के बराबर मानी जाती है ।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान अग्रगण्य अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 730 अनुसंधान पत्रक प्रकाशित हो चुके हैं । इनके विषय वनवर्धन, आनुवंशिकी, वनस्पति विज्ञान, पौध शरीर विज्ञान, संसाधन सर्वेक्षण और प्रबंध, वन अर्थव्यवस्था, क्षेत्रमिती, सामाजिक वानिकी, वन उत्पाद, वन संचालन, वन सुरक्षा, रोग विज्ञान और इमारती लकड़ी की इंजीनियरी से संबंधित हैं ।

उष्ण कटिबन्धीय वनों के संबंध में अनेक अनुसंधान कार्य शुरू किये गये हैं और वे वन वर्धन, प्रबंध, पारिस्थितिकी स्थल-प्रजातियों के संबंध, वृक्षों के सुधार, लघु वन उत्पाद, सुरक्षा, वन संचालन, वन उत्पाद और उपयोग से संबंधित है ।

(च) वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के भवन का रख-रखाव इस प्रयोजनता के लिये आवंटित निधि में से किया जाता है ।